11-01-2024

पत्रावली पेश हुई... अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/01/24 को पेश की जावे।

B.O.C. SDO

23-01-2024

पत्रावली पेश हुई... अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08/02/24 को पेश की जावे।

B.O.C. SDO

08-02-2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। फरीकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने न्यायालय मे उपस्थित हो पत्रावली मे No-objection कर पत्थरगढी हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थी ने आज ही बहस करने का निवेदन कर बहस की। उभय पक्ष को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र की बहस के दौरान दी गई दलीलों से हम संतुष्ट है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी करने का निवेदन किया जो कि उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र धारा 128 बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रार्थी का का प्रा० पत्र धारा-128 स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर प्रा० पत्र पत्थरगढी के आदेश दिए जाते है। प्रा० पत्र का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय की इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

No objection
08